कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता,

कलक्ट्रेट चौराहा, दौसा
dausa.we@rajasthan.gov.in

क्रमांकः 383 दिनांकः– 6/6/23

विज्ञप्ति संख्या 02/2023–'24

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है

क्र. सं.	कार्यालय का नाम व पता एवं ई–मेल आईडी	पंचायत समिति	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित
1	सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग ,दौसा dausa.we@rajasthan.gov.in	दौसा	निमाली		
2		महवा		समलेटी,, टीकरी किलानोत	
3		बैजूपाड़ा		गगवाना,	
4		लवाण	डुंगरावतान		
5		सिकंदरा	शेखपुरा		

- रिक्त साथिन के पदो वाली ग्राम पंचायतो हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संबंधित ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान के केम्प में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता को अथवा सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग दौसा के कार्यालय में दिनांक 10.07.2023 को सांय 4.00 बजे तक जमा कराये जा सकेगे।
- विज्ञप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेब–साईट http;//www.wcd.rajasthan.gov.in तथा सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, दौसा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(युगल किशोर मीना)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग,दौसा

क्रमांक– 384 – 89 दिनांकः 6/6/23

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका) में न्यूनतम साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता ,राज., जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा
5. विकास अधिकारी, दौसा, महवा, लवाण, बैजूपाडा, सिकन्दरा।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, दौसा, महवा, बान्दीकुई द्वितीय, लवाण, सिकराय।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,दौसा

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता,

कलक्ट्रेट चौराहा, दौसा
dausa.we@rajasthan.gov.in

साथिन चयन विज्ञप्ति 02/2023–24 के दिशा निर्देश

1. आवेदक का स्थानीय ग्राम पंचायत की मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी होने के दस्तावेजों के लिए मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड/ जनआधार कार्ड/ आधार कार्ड/ मूल निवास प्रमाण पत्र/ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानिय माना जाएगा।
2. आवेदक महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
3. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
4. साथिन चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार होगा जिसमें अलग–अलग बिन्दुओं के अलग–अलग अंक निर्धारित होगे।
5. आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जायेगे। इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश लागू होगे।
6. विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात अथवा विज्ञप्ति के दौरान किसी ग्राम पंचायत में साथिन मानदेय पद की रिक्ती के संबंध में किसी प्रकार के विवाद, संशय/स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायक निदेशक महिला अधिकारिता दौसा का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षो को मान्य होगा।
7. ओवदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति अधारित – प्रमस्तिक घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक कि होगी (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
8. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
9. परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/ उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/ डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजो में संलग्न किया जावे।
10. आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण –पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र/ जाति प्रमाण–पत्र/ आयु प्रमाण–पत्र/ विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता संबंधी दस्तावेज/विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र/ RS-CIT प्रमाण–पत्र. एवं कम्प्यूटर प्रशीक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र/ कार्यानुभव संबंधी दस्तावेज/ बी.पी.एल. कार्ड की प्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
11. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
12. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्न संलग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
13. रिक्त साथिन के पदो वाली ग्राम पंचायतो हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संबंधित ग्राम पंचायत में आयोजित ~~[illegible]~~ प्रशासन गांवो के संग अभियान के केम्प में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता को अथवा सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग दौसा के कार्यालय में दिनांक 30.06.2023 को सांय 4.00 बजे तक जमा कराये जा सकेगे।
14. आवेदन फार्म परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' सहायक निदेशक महिला अधिकारिता दौसा के कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in. से प्राप्त किये जा सकते है।
15. इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग दौसा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

K.Z

(युगल किशोर मीना)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग, दौसा